भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3419

09 अगस्त, 2021 को उत्तर के लिए

इस्पात की उच्च आदान लागत को कम करना

3419. श्री फिरोज़ वरुण गांधी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय इस्पात नीति के संबंध में इस्पात के विनिर्माण में आने वाली उच्च आदान लागत को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और सरकार द्वारा 300 एमटी इस्पात का उत्पादन करने संबंधी लक्ष्य हासिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) वर्ष 2019-20 के दौरान इस्पात विनिर्माण में उपयोग होने वाली प्रमुख कच्ची सामग्री, कोकिंग कोल के आयात पर कितना व्यय किया गया है; और

(ग) वर्ष 2019-2020 के दौरान इस्पात के विनिर्माण पर कुल कितना व्यय किया गया है?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)

(क): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। उत्पादन, निर्यात/आयात जैसे वाणिज्यिक निर्णय इस्पात कंपनियों द्वारा लिए जाते हैं। तथापि, सरकार ने लौह अयस्क की उपलब्धता बढ़ाकर इस्पात विनिर्माण की इनपुट लागत को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ लौह अयस्क के उत्पादन और उपलब्धता में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए खनन और खनिज नीति में सुधार, राज्य/केन्द्रीय पीएसयू द्वारा ओडिशा के समपहृत (फोरफिटेड) कार्यशील खानों का शीघ्र प्रचालन शामिल है। इसके अतिरिक्त, इस्पात के स्क्रैप पर 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए बीसीडी में छूट दी गई है। इसके अलावा, वर्ष 2030-31 तक 300 एमटी क्षमता की परिकल्पना को प्राप्त करने की दिशा में मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल है:

(i) मेड इन इंडिया इस्पात की अधिप्राप्ति के संवर्धन हेतु घरेलू रूप से विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति को अधिसूचित करना।

(ii) घरेलू रूप से सृजित स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना।

(iii) गैर-मानकीकृत इस्पात के विनिर्माण और आयात को रोकने के लिए इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को जारी करना।

(iv) इस्पात आयातों के अग्रिम पंजीकरण हेतु इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) को अधिसूचित करना।

(v) 6,322 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ विशेष इस्पात के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को अधिसूचित करना।

(vi) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के संबद्ध मंत्रालयों/विभागों द्वारा उद्योग संघों और स्वदेशी इस्पात उद्योग के अग्रगणियों सहित विभिन्न हितधारकों की समस्याओं का निवारण करने के लिए उनके साथ सहभागिता।

(vii) देश में इस्पात के उपयोग और समग्र माँग में वृद्धि करने के लिए रेलवे, रक्षा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आवासन, नागर विमानन, सड़क परिवहन और राजमार्ग, कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र सहित संगत हितधारकों के साथ सहभागिता।

(viii) इस्पात क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने और सुकर बनाने के लिए मंत्रालय में परियोजना विकास प्रकोष्ठ की स्थापना।

(ख): वर्ष 2019-20 के दौरान कुल कोकिंग कोल आयात का ब्यौरा निम्नलिखित है:

वर्ष	**मात्रा (मिलियन टन में)**	**मूल्य (करोड़ रुपये में)**
2019-20	51.83	61267

स्रोत: कोयला मंत्रालय

(ग): वर्ष 2019-20 के दौरान उत्पादित तैयार इस्पात का अनुमानित मूल्य लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपये है। [स्रोत: जेपीसी]

****